# उत्तर प्रदेश शासन
## राज्य कर अनुभाग2-
**संख्या-586/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(181)-2021**

**लखनऊः दिनांकः 16 जून, 2021**

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम,2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, और इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा,अधिसूचना सं0-क0नि0-2-842/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(09)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 मे अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष, स्तम्भ (3) में,मद (iv) में, खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :

"परन्तु यह कि दिनांक 14 जून, 2021 से प्रारम्भ होकर दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के समाप्त होने तक की अवधि के दौरान, खण्ड (च) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा विवरण पर राज्य कर, स्तम्भ (4) मे विनिर्दिष्ट दर के बावजूद, 2.5 % की दर से उद्ग्रहीत होगा।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 14 जून, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव